



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062026-273897
CG-DL-E-27062026-273897

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3264]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/ आषाढ 4, 1948

No. 3264]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ ASHADHA 4, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

का.आ. 3398(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 520-E तारीख 03/02/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के अलवर जिले में NH248A के कि.मी. 58.95 से कि.मी.87.2 तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक परियोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "26/02/2026 को "दि इंडियन एक्सप्रेस [इंग्लिश]" , 22/02/2026 को "राजस्थान की पुकार" " में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के अलवर जिले में NH248A के कि.मी. 58.95 से कि.मी. 87.2 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: अलवर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अलवर					
गांव का नाम: लिवारी					
1	1014/234	निजी	नहरी 2	0.0585	1. तेजपाल पुत्र बलवीरसिंह हिस्सा-1/4 2. महीपाल पुत्र बलवीरसिंह हिस्सा-1/4 3. मोहरपाल पुत्र बलवीरसिंह हिस्सा-1/4 4. श्री पाल पुत्र बलवीरसिंह हिस्सा-1/4
2	1015/234	निजी	गै.मु. रास्ता	0.0128	1. तेजपाल पुत्र बलवीरसिंह हिस्सा-1/4 2. महीपाल पुत्र बलवीरसिंह हिस्सा-1/4 3. मोहरपाल पुत्र बलवीरसिंह हिस्सा-1/4 4. श्री पाल पुत्र

					बलवीरसिंह हिस्सा- 1/4
3	1016/234	निजी	नहरी 2	0.0055	1. तेजपाल पुत्र बलवीरसिंह हिस्सा- 1/4 2. महीपाल पुत्र बलवीरसिंह हिस्सा- 1/4 3. मोहरपाल पुत्र बलवीरसिंह हिस्सा- 1/4 4. श्री पाल पुत्र बलवीरसिंह हिस्सा- 1/4
गांव का नाम: खेड़का					
4	343/111	निजी	बारानी 1	0.0234	1. मोहनलाल पुत्र मोतीलाल हिस्सा- 1/3 , 2. सुनीलकुमार पुत्र जगदीशप्रसाद हिस्सा- 1/3, 3. सुरेशचन्द पुत्र मोतीलाल हिस्सा- 1/3
गांव का नाम: धवाला					
5	313/307	निजी	चाही सोयम	0.0362	हवाला राजेन्द्रसिंह पुत्र रिद्धपाल सिंह हिस्सा- पूर्ण
6	314/307	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0087	राजस्थान सरकार
7	315/307	निजी	चाही सोयम	0.0135	हवाला राजेन्द्रसिंह पुत्र रिद्धपाल सिंह हिस्सा- पूर्ण
गांव का नाम: सूकल					
8	652/625	निजी	चाही 3	0.0171	हुरमत पुत्र रहिमखां हिस्सा-पूर्ण
Total				0.1757	

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2026

S.O. 3398(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **520-E Dated:03/02/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building, construction (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH248A in the stretch of land from Km. 58.95 to Km. 87.2 in the district of ALWAR in the state of RAJASTHAN

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Indian Express” dated 26/02/2026, “Rajasthan Ki Pukar” dated 22/02/2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH248A in the stretch of land from Km. 58.95 to Km. 87.2 in the district of ALWAR in the state of RAJASTHAN

State: RAJASTHAN			District: ALWAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Alwar					
Village: Liwari					
1	1014/234	Private	nahari 2	0.0585	Tejpal S/o Balveer Singh Share-1/4 Mahipal S/o Balveer Singh Share-1/4 Moharpal S/o Balveer Singh Share-1/4 Shri Pal S/o Balveer Singh Share- 1/4
2	1015/234	Private	Ge. Mu. Rasta	0.0128	Tejpal S/o Balveer Singh Share-1/4 Mahipal S/o Balveer Singh Share-1/4 Moharpal S/o Balveer Singh Share-1/4 Shri Pal S/o Balveer Singh Share- 1/4

3	1016/234	Private	nahari 2	0.0055	Tejpal S/o Balveer Singh Share-1/4 Mahipal S/o Balveer Singh Share-1/4 Moharpal S/o Balveer Singh Share-1/4 Shri Pal S/o Balveer Singh Share- 1/4
Village: Kherdka					
4	343/111	Private	Barani 1	0.0234	1. Mohanlal son of Motilal, share - 1/3 2. Sunilkumar son of Jagdishprasad share- 1/3, 3.Sureshchand s/o Motilal Share 1/3
Village: Dhawala					
5	313/307	Private	Chahi soyam	0.0362	Hawala Rajendra Singh son of Richpal Singh Share- Full
6	314/307	Government	Ge. Mu. Rasta	0.0087	Rajasthan Government
7	315/307	Private	chahi soyam	0.0135	Hawala Rajendra Singh son of Richpal Singh Share- Full
Village: SOOKAL					
8	652/625	Private	Chahi 3	0.0171	Hurmat Son Rahim Khan Share-Full
Total				0.1757	

[F. No. RW/JAI/RJ/CE_RO/NH-12012/2017-18/21/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director